

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 3005-01531/जो. जयपुर/2024/197 दिनांक- 27/03/24

आदेश

स्व. श्री पीताम्बर दयाल शर्मा, नर्सिंग ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गढीसवाईराम (अलवर) की दिनांक 21.02.2015 से कार्मिक की मृत्यु दिनांक 04.09.2020 तक कुल 2023 दिवस की स्वैच्छिक अनुपस्थित अवधि को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या-1 के क्रम में सेवा को शून्यकाल (Dies non) घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 212400104 दिनांक 29.02.2024 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 3005-01531/जो. जयपुर/2024/197 दिनांक- 27/03/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-। वित्त नियम विभाग राज. जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिका की स्वैच्छिक अनुपस्थिति के संबंध में कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व का निर्धारण कर की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करावे।
7. संस्थापन अधिकारी गोपनीय अनुभाग अराजपत्रित मुख्यालय।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गढीसवाईराम, अलवर।
10. स्व. श्री पीताम्बर दयाल नर्सिंग के आश्रित को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. संबंधित कार्मिका को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6299957

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-03-2024 06:47:10